न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 250 / 2019 (103 / 17, 189 / 18)
दायर दिनांक :– 16.03.2017

अनवान

श्री घीसु लाल पिता केसर लाल ओझा नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री रामेश्वर लाल पिता देवी लाल गुर्जर नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. श्रीमति मना बेवा देवी लाल गुर्जर नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
3. श्रीमति कसनी बेवा काना गुर्जर नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश :: दिनांक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यो के संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी न. 2256 रकबा 40.07 बीघा कृषि आराजी स्थित है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजी पर पुस्तैनी आने जाने का रास्ता विपक्षी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कृषि भुमि आ.न. 2257 रकबा 21.07 बीघा में से होकर आता जाता है। जिसका प्रार्थी व सभी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्राथी को अपनी उपरोक्त कृषि आराजियात में आने जाने का एक मात्र आम रास्ता मे लगती हुई बिीनाम भूमि से होकर आ. सं. 2257 मे प्रवेश किया जाता है जहा पर आ. स. 2256 में पहुचने पर करीबन 20 फीट चौडा रास्ता मौके पर हैं तथा दोनो आराजियात के मुहाने पर संयुक्त रूप से फाटके लगी हुई हैं ताकि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की कृषि भूमि मे अन्य कोई अनावश्यक नुकसान ना हो। प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये इसी रास्ते में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। विपक्षीगण ने संयुक्त रूप से आ. सं. 2257 में स्थापित रास्ता को बन्द कर देने की धमकी दी थी जिससे प्रार्थी के समक्ष संकट पैदा हो गया था। भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो व सभी शांतिपुर्ण

ढंग से उपयोग उपभोग कर सके इस हेतु उक्त रास्ते को रेकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर आ.न. 2257 में से 20 फीट चौडा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की आराजी न. 2256 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2019/1453 दिनांक 04.11.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर में आराजी न. 2256 रकबा 40.07 बीघा में आने जाने के लिये रास्ता आ. न. 2257 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 2257 में से रकबा 0.06 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा आ.न. 2257 में प्रभावित रकबा 0.06 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 72468 रू. बहत्तर हजार चार सौ अडसठ रू. बनते हैं जो प्रार्थी अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:41:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: